

प्रेसनोट दिनांक 08.11.2023

- दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री दिनेश चन्द्र यादव थाना महाराजगंज अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कृष्णदेव साहू पुत्र काशीनाथ साहू नि0 आलापुर थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 327/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री मो0 अजहर थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सतीराम पुत्र मोचन नि0 काजीपुर बिस्वा थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 328/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 मो0 अमीन थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि उत्तम कोरी पुत्र बाबूराम कोरी नि0 अरवट थाना महाराजगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु0अ0सं0 329/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी मुख्या आरक्षी श्री बालेन्द्र प्रताप सिंह थाना रौनाही अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बृजेश कुमार पुत्र शिवकुमार नि0 सोहावल थाना रौनाही अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 568/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री भानूप्रताप शाही थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पत्नी विश्राम निषाद नि0 भावापुर थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 571/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी म0उ0नि0 पूजा राज थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि विजय कुमार पुत्र रामधनी नि0 घुरहुपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 572/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी म0उ0नि0 पूजा राज थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि लवकुश पुत्र विजय कुमार नि0 घुरहुपुर थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 573/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी निरी0 श्री जनार्दन सिंह थाना को0बीकापुर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सियाराम पुत्र रामबहादुर नि0 भरहुखाता थाना को0बीकापुर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0बीकापुर में मु0अ0सं0 574/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि ओमप्रकाश पुत्र श्यामलाल नि0 पूरे मनोधर थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 223/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री राहुल कुमार पाण्डेय थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जयप्रकाश पुत्र रामलोहार नि0 सीहीपुर थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब

नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 224/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

11. दिनांक 07.11.23 को वादी मुख्या आरक्षी श्री कृष्ण कुमार यादव थाना हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अमरजीत पुत्र मेवालाल नि0 बनकटवा थाना हैदरगंज अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु0अ0सं0 225/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

12. दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री मिथिलेश कुमार सिंह थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि हरिराम यादव पुत्र स्व0 सियाराम यादव नि0 सकटपुर थाना तारुन अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 287/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

13. दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री मुन्नीलाल चौधरी थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि पप्पू निषाद उर्फ टमाटर पुत्र रामअचल नि0 तकमीनगंज थाना तारुन अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 288/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

14. दिनांक 07.11.23 को वादी मुख्य आरक्षी श्री सौरभ कुमार थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि राजेश कुमार पुत्र रामअजोर नि0 रामपुरभगन थाना तारुन अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु0अ0सं0 289/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

15. दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री रजनीश कुमार पाण्डेय थाना इनायतनगर अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि बाबूलाल कोरी पुत्र मकऊलाल नि0 पाराताजपुर थाना इनायतनगर अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु0अ0सं0 489/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

16. दिनांक 07.11.23 को वादी आरक्षी श्री सौरभ यादव थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अगनू पुत्र सोमई नि0 हाडमऊऊ थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 241/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

17. दिनांक 07.11.23 को वादी आरक्षी श्री धर्मवीर सिंह थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि सूर्यभवन पुत्र हीरालाल नि0 उपाध्यायपुर थाना खण्डासा अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु0अ0सं0 242/23 धारा 60(1) आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

18. दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री जय सिंह थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि भगवान दास पुत्र टुक्खू लोध नि0 मल्ला का पूरवा मजरे कोलवा थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 573/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

19. दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री प्रमोद कुमार यादव थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि अंशु पुत्र जगतपाल नि0 सोफियाना थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 20 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 574/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

20. दिनांक 07.11.23 को वादी उ0नि0 श्री रामराज चौधरी थाना को0रुदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामनरेश पुत्र बेकारू नि0 झबरा थाना को0रुदौली अयोध्या। गिर0 अभि0 के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना को0रुदौली में मु0अ0सं0 575/23 धारा 60 आब0अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।